

Order Sheet [Contd]

Case No 137 / 2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
17-04-17	<p>आवेदक महेन्द्र शर्मा की ओर से श्री बी०एस० यादव अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरक्षी केन्द्र मोहद चौराहा जिला भिण्ड से अप०क० 132/16 धारा 498ए, 294, 506, 34 भा०दं०वि० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत।</p> <p>आवेदक की ओर से अधि. श्री बी०एस० यादव द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा०फौ० का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना मोहद चौराहा के द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर गलत मामला दर्ज कर लिया है, जबकि आवेदक के द्वारा कभी भी फरियादिया से दहेज की कोई मांग नहीं की है। सहआरोपी राधा को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एवं इस न्यायालय द्वारा आवेदक साधना एवं प्रिया को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जा चुका है। आवेदक सभ्रांत व्यक्ति है कि यदि उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो जावेगी। आवेदक फरियादिया का सुसर है उसका कृत्य जमानत पर मुक्त सहआरोपीगण से भिन्न नहीं है। वह अग्रिम जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित अग्रिम जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि प्रकरण में सहआरोपी महिलाओं को अग्रिम प्रतिभूति पर मुक्त कर दिया है। आवेदक/अभियुक्त फरियादिया का सुसर है और उसे कुवल सुसर होने के नाते प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। इसी कारण आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रकरण में सहआरोपी साधना एवं प्रिया को जमानत क्रमांक 69/17 आदेश दिनांक 14.02.17 के द्वारा अग्रिम प्रतिभूति पर मुक्त किया गया है तथा सहआरोपी राधा देवी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम.सी.आर.सी. क्रमांक 2760/17 आदेश दिनांक 15.03.17 के द्वारा अग्रिम प्रतिभूति पर मुक्त किया गया है। फरियादिया के द्वारा सभी आरोपीगण के विरुद्ध एक समान आरोप लगाए गए हैं।</p> <p>आरोपित सभी धाराएं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा विचारणीय है। अन्य आरोपी से आवेदक/अभियुक्त का प्रथक कृत्य हो ऐसी परिस्थिति नहीं है। पुलिस के द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसमें आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक क्यों है परिस्थिति नहीं दर्शाई गई है। अतः माननीय सर्वाच्च</p>	

न्यायालय के द्वारा न्यायिक दृष्टांत अरनेश कुमार वि० विहार राज्य 2014(4) एम.पी.एच.टी. 81 एस.सी. में अभिनिर्धारित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि वह 15 दिवस के अंदर अनुसंधानकर्ता अधिकारी अथवा संबंधित पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करावे और उसके गिरफ्तार होने की दशा में उसकी ओर से गिरफ्तारकर्ता अधिकारी की संतुष्टि योग्य 20,000/- रूपए की सक्षम प्रतिभूति निम्न शर्तों के अधीन पेश हो तो उसे जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

शर्तें—

2. अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेगा।
3. जैसा अपराध कारित किया है वैसा पुनः नहीं करेगा।
उक्त शर्तों के अधीन जमानत पेश हो तो उसे जमानत पर छोड़ा जावे।
आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।
प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

जिला— भिण्ड म०प्र०